

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

गुलाबसिंह पुत्र लखसिंह

बनाम

रूपसिंह पुत्र भीवसिंह वगैराह

किस्म मुकदमा 212 राज. का. अधि. 1955

मुकदमा नम्बर 100/2021


सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
10.06.2021	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया।</p> <p>वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंगन राजस्व रेकॉर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पुश्तैनी भूमि है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के बिना बंटवाडा करवाये भूमि का बेचान करने, मौका स्थिति में परिवर्तन करने एवं निर्माण करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थी को अपूर्णाय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 05.07.2021 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम बेलवा राणाजी, पटवार हल्का बेलवा राणाजी, तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 158 रकबा 48.02 बीघ भूमि पर उभयपक्ष एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नही करे तथा न ही विशिष्ट भू-भाग दर्शाकर बैचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 03 की पालना करते हुए अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें।</p> <p>पत्रावली दिनांक 05.07.2021 को पेश हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
बालेसर



फर्द अहकाम

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई
12/2/25	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/हुकम के राजकीय धारे पर है। पत्रावली प्रस्तुत होकर दिनांक.....18/3/25 को पेश हो।</p>	
8/3/25	<p>पत्रावली के मा.प्र. विज्ञा का पेडा हीने पर मा.प्र. तारीख पेडा पर ली गई। मा.प्र. विज्ञा के अधिक किया गया है कि वही सं. पत्रावली जमा के मध्य लीक रूपान्त की शावना के राजीनामा हो गया है। वही उबर वय को भलाना नहीं पाएला है। वही का मा.प्र. स्वीकार किया जाकर पत्रावली जमा विज्ञा निस्तार के गती है। पत्रावली गजर से काम होकर पत्रावली पर है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी, बालेसर </p>	<p style="text-align: center;">उत्तरादि</p>